रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2014/अग्रहायण 25, 1936
No. 675] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2014/AGRAHAYANA 25, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 898(अ).—केंद्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मेट्रो रेल (दुर्घटना की सूचना और जांच) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है ;

(ख) "आयुक्त" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त किया गया मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(घ) "यात्री" से विधिमान्य टिकट या पास के साथ मेट्रो रेल में यात्रा कर रहा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ङ.) तकनीकी योजना और मैट्रो रेल की सुरक्षा के संबंध में, "केंद्रीय सरकार" से, भारत सरकार का रेल को देखने वाला मंत्रालय अभिप्रेत है ।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम या मेट्रो रेल साधारण नियम, 2013 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम या नियमों में क्रमशः उनके हैं ।

3. दुर्घटना की सूचना.— (1) अधिनियम की धारा 38 के अधीन मेट्रो रेल के उस अनुभाग का भारसाधक पदधारी बिना विलंब के मेट्रो रेल दुर्घटना की सूचना **प्ररूप 1** में निम्नलिखित प्राधिकारियों को देगा, अर्थात् :--

i. संबद्ध मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ;

ii. रेल मंत्रालय ;

iii. शहरी विकास मंत्रालय ;

iv. संबद्ध राज्य सरकार ;

v. यथास्थिति, उपायुक्त या जिला कलेक्टर ;

vi. पुलिस उपायुक्त, जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई है ;

vii. पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर दुर्घटना हुई है; और

viii. ऐसा अन्य मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन दुर्घटना की सूचना बिना किसी विलंब के ई-मेल या टेलीफैक्स या टेलीफोन से या विशेष संदेशवाहक या ऐसे अन्य साधनों द्वारा भेजी जाएगी, जो उपलब्ध हो सके ।

4. दुर्घटनास्थल पर पहुंचने की सुविधा -- जब कभी मेट्रो रेल के कार्यचालन के अनुक्रम में कोई दुर्घटना हो तो मेट्रो रेल प्रशासन, (क) यथास्थिति, उपायुक्त या जिला कलेक्टर, (ख) पुलिस उपायुक्त, (ग) अधिनियम की धारा 38 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट, (घ) जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जांच आयोग या कोई अन्य प्राधिकारी, जिसको उक्त जांच आयोग अधिनियम के सभी या कोई उपबंध लागू कर दिए गए हैं, (ड.) आयुक्त, (च) चिकित्सा अधिकारियों, (छ) पुलिस या (ज) अन्य किसी संबद्ध व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर तत्परता से पहुंचने के लिए और दुर्घटना के कारण की जांच कराने और उस पर आवश्यक साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा ।

5. आयुक्त द्वारा दुर्घटनाओं की जांच.—(1) आयुक्त, ऐसी दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए आबद्ध होगा, जिनके परिणामास्वरूप यात्री की मृत्यु या स्थायी स्वरूप की पूर्ण या आंशिक नि:शक्तता हुई हो।

(2) आयुक्त, गैर-राजस्व रेलगाड़ी या दुर्घटना राहत रेलगाड़ी या टावर वैगन या मेट्रो रेल पदधारियों का वहने करने वाली विभागीय रेलगाड़ियों की किसी ऐसी दुर्घटना में, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे पदधारियों की मृत्यु या घोर उपहति हुई हो, की भी जांच करेगा ।

(3) आयुक्त, यदि आवश्यक समझे, तो ऐसी दुर्घटनाओं की जांच कर सकेगा, जिनके परिणामस्वरूप मेट्रो रेल पदधारी या विधिमान्य पास या टिकट धारण करने वाले, किन्तु मेट्रो रेल की छत या बफरों सहित रोलिंग स्टॉक के बाहर यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यकृति की मृत्यु या घोर उपहति हुई हो या मेट्रो रेल ट्रैक पर कुचला गया हो ।

6. जांच और उपस्थिति की सूचना.—(1) आयुक्त या मेट्रो रेल प्रशासन, ऐसे मेट्रो रेल पदधारी को, जिसका साक्ष्य आवश्यक है, ऐसी जांच की तारीख, समय और स्थान सूचित करते हुए जांच की सूचना प्रदान करवाएगा ।

(2) मेट्रो रेल प्रशासन, जांच के स्थान पर ऐसे मेट्रो रेल पदधारियों की, जिनके साक्ष्य आवश्यक हों, उपस्थिति ऐसी अवधि के लिए, जो आवश्यक हो, की व्यवस्था करेगा ।

(3) मेट्रो रेल प्रशासन अन्य व्यक्तियों को भी, जिसके अंतर्गत ऐसे यात्री और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी हैं, जो जांच के दौरान साक्ष्य देने के लिए रजामंद हैं, ऐसी तारीख, समय और स्थान की सूचना दिलाएगा, जब और जहां पर जांच की जाएगी ।

7. आयुक्त द्वारा दुर्घटना की जांच की प्रक्रिया.—(1) आयुक्त, नियम 3 के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, मेट्रो रेल प्रशासन को जांच करने का अपना आशय अधिसूचित करेगा और ऐसी जांच की तारीख, समय और स्थान संसूचित करेगा ।

(2) आयुक्त, जांच की तारीख, समय और स्थान, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, उपायुक्त या जिला कलेक्टर और, यथास्थिति, संबद्ध पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक को सूचित करेगा ।

(3) उपायुक्त या जिला कलेक्टर और यथास्थिति, पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक, यथासंभव, आयुक्त द्वारा संचालित जांच में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होगा और जहां संभव नहीं है, वहां ऐसी जांच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी ज्येष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा ।

(4) आयुक्त, जांच पूर्ण होने पर, मेट्रो रेल प्रशासन और रेल सुरक्षा के मुख्य आयुक्त को दुर्घटना के आसन्न कारण पर, इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का संदर्भ दिए बिना, प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि क्या यह प्रणाली की चूक या किसी व्यक्ति की चूक के कारण हुई थी ।

(5) आयुक्त, यथासंभवशीघ्र, उपनियम (6) में यथाविनिर्दिष्ट विस्तृत रिपोर्ट रेल सुरक्षा के मुख्य आयुक्त को प्रस्तुत करेगा और इस रिपोर्ट की प्रतियां-

(i) मेट्रो रेल प्रशासन;

(ii) भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय; और

(iii) संबद्ध राज्य सरकार;

को अग्रेषित करेगा :

परंतु जहां आयुक्त को यह पता चलता है कि ऐसी दुर्घटना अभिध्वंस या रेलगाड़ी ध्वंस के कारण हुई थी, वहां वह अपनी रिपोर्ट की प्रति निदेशक, आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और संबद्ध पुलिस आयुक्त को भी अग्रेषित करेगा ।

(6) आयुक्त द्वारा उपनियम (5) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत रिपोर्ट गोपनीय होगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :--

(क) दुर्घटना का संक्षिप्त वर्णन ;

(ख) दुर्घटना के अवस्थान का वर्णन ;

(ग) लिए गए साक्ष्य का विस्तृत कथन ;

(घ) प्राप्त निष्कर्ष, असहमति के टिप्पण सहित, यदि कोई हो ;

(ङ) प्राप्त निष्कर्षों के लिए कारण ;

(च) किए गए नुकसान की प्रकृति और विस्तार ;

(छ) दुर्घटना के दृष्टांत वाला रेखाचित्र या फोटो, यदि आवश्यक हो ;

(ज) मारे गए या आहत मेट्रो रेल कर्मचारियों की संख्या ;

(झ) मारे गए या आहत यात्रियों की संख्या ;

(ञ) क्या यह प्रणाली की चूक रही है या किसी व्यक्ति की चूक रही है ;

(ट) दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी कर्मचारिवृंद द्वारा अतिक्रमण किए जाने वाले नियमों का उद्धरण अंतर्विष्ट करने वाला परिशिष्ट; और

(ठ) प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयां ।

8. मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा रिपोर्ट का प्रकाशन.—मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त, नियम 7 के उपनियम (5) के अधीन विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय का अनुमोदन लेने के पश्चात् रिपोर्ट का प्रकाशन करवाएगा ।

(2) जहां यदि रिपोर्ट के प्रकाशन पर शहरी विकास मंत्रालय की कोई शर्त है, वहां मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त रिपोर्ट का प्रकाशन तब तक नहीं करवाएगा जब तक नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ऐसे मामले का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर दिया जाता ।

9. मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना की जांच.—(1) यदि किसी कारण से आयुक्त ऐसी किसी दुर्घटना के घटित होने के पश्चात् किसी पूर्वतर तारीख को दुर्घटना की जांच करने में असमर्थ रहता है तो मेट्रो रेल प्रशासन को उसका कारण सूचित करेगा कि उसके द्वारा जांच क्यों नहीं की जा सकती है और तत्पश्चात् मेट्रो रेल प्रशासन नियम 10 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच करवाएगा ।

(2) जहां मेट्रो रेल के कार्यचालन के दौरान, नियम 5 के उपनियम (1) और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट दुर्घटनाओं की प्रकृति को छोड़कर, कोई दुर्घटना या तो नियमों के भंग के कारण या तकनीकी/व्यक्तिगत चूक के कारण घटित होती है, वहां मेट्रो रेल प्रशासन नियम 10 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ऐसी दुर्घटना की जांच करवाएगा ।

10. मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा जांच की प्रक्रिया.—(1) मेट्रो रेल प्रशासन, नियम 9 के उप-नियम (1) के अधीन आयुक्त से सूचना की प्राप्ति पर या जहां उसके उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कोई दुर्घटना घटित होती है, ऐसे कारणों की, जिनको ऐसी दुर्घटना घटित हुई है, अन्वेषण के माध्यम से की जाने वाली या तो संयुक्त जांच या विभागीय जांच करवाएगा।

(2) संबद्ध मेट्रो रेल प्रशासक संयुक्त जांच करने के लिए मेट्रो रेल अधिकारियों की समिति गठित करेगा और उस समिति को आवश्यक आदेश/अनुदेश देगा ।

(3) जहां संबद्ध मेट्रो रेल प्रशासन का कोई विभाग दुर्घटना के लिए उत्तरदायी पाया जाता है या वह ऐसी दुर्घटना के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करता है, वहां मेट्रो रेल प्रशासन विभागीय जांच करवाएगा और ऐसी दुर्घटना के लिए उत्तरदायी विभाग के प्रमुख को ऐसे उपाय, जो ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को निवारित करने के लिए आवश्यक हो, अपनाने या सुझाने के लिए आवश्यक आदेश/अनुदेश देगा ।

(4) यथास्थिति, संयुक्त जांच या विभागीय जांच प्रारंभ करने से पूर्व, मेट्रो रेल प्रशासन का भारसाधक अधिकारी जांच की तारीख, स्थान और समय सूचित करते हुए सूचना निम्नलिखित अधिकारियों को दिलवाएगा, अर्थात् :--

(क) आयुक्त;

(ख) उस जिले का, जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना घटित हुई हो, यथास्थिति, उपायुक्त या कलेक्टर या ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे;

(ग) पुलिस उपायुक्त, जिसकी अधिकारिता में ऐसा स्थान है, जहाँ दुर्घटना घटित हुई है; और

(घ) पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, जिसकी अधिकारिता में ऐसा स्थान आता है ।

(5) दुर्घटना के कारण के ब्यौरे और नियम 7 के उप-नियम (6) में यथाविनिर्दिष्ट समस्त विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, यथास्थिति, संयुक्त जांच या विभागीय जांच की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और मेट्रो रेल प्रशासन को प्रस्तुत की जाएगी ।

(6) मेट्रो रेल प्रशासन, उप-नियम (5) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्, दुर्घटना के लिए उत्तरदायी कर्मचारिवृंद की बाबत की जाने वाली कार्रवाई पर अपनी सिफारिश और मेट्रो रेल के कार्यचालन की प्रणाली में या नियमों में किए जाने वाले पुनरीक्षण, यदि कोई हो, सहित रिपोर्ट की प्रति आयुक्त और रेल मंत्रालय को अग्रेषित करेगा ।

11. दुर्घटनाओं की वार्षिक विवरणी.—(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, मेट्रो रेल प्रशासन उस वित्तीय वर्ष के दौरान मेट्रो रेल पर घटित हुई समस्त दुर्घटनाओं की वार्षिक विवरणी **प्ररूप 2** में तैयार करेगा और भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय को अग्रेषित करेगा ।

प्ररूप - 1

(नियम 3 देखिए)

दुर्घटना की सूचना

गाड़ी दुर्घटना अनुवर्ती सूचना सं. :

दिन/मास/वर्ष को मेट्रो रेल की सवारी गाड़ी की दुर्घटना*

नोडल अधिकारी/मेट्रो से दिन/मास/वर्ष को घंटे:मिनट पर प्राप्त की गई सूचना

दुर्घटना की तारीख और समय	दिन/मास/वर्ष को घंटे:मिनट
सेक्शन	
ब्लॉक सेक्शन/स्टेशन पर	
कार्यचालन प्रणाली	
गाड़ी सं.	
भार	
संक्षिप्त विवरण	
आहत या मृत व्यक्ति	
सहायता व्यवस्थाएं	
घटनास्थल पर अधिकारीगण	
प्रथमदृष्ट्या कारण	
प्रत्यावर्तन	
अन्य सूचना	
राज्य/जिला	

*दुर्घटना का प्रकार (नाम)

तारीख : दिन/मास/वर्ष पदनाम

प्ररूप – 2

(नियम 11 देखिए)

दुर्घटनाओं की वार्षिक विवरणी

क्रम संख्या	तारीख	क्षेत्र	लेन	सेक्शन	स्टेशन/मध्य अनुभाग पर/ कार्यस्थल पर	गाड़ी सं.	संक्षिप्त विवरण	आहत या मृतकों की संख्या			
								पी* आर* ओ*	के*	जी*	एस*
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

प्रथमदृष्टया कारण	निर्णायक कारण	क्षति की लागत				यातायात का अवरोध	जांच का प्रकार सी.आर.एस./ विभाग	निष्कर्ष/ परिणाम	उत्तरदायित्व	की गई कार्रवाई	धारा 45 लागू है या नहीं
		इंजी.	मैके.	इले.	अन्य						
10	11	12				13	14	15	16	17	18

* पी - यात्री
* आर - कर्मचारिवृंद (मेट्रो स्टाफ)
* ओ - अन्य
* के - मृत व्यक्ति
* जी - गंभीर रूप से आहत
* एस - साधारण आहत

[फा.सं. के-14011/17/2013-एमआरटीएस-2]

सी. के. खेतान, संयुक्त सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2014

G.S.R. 898(E).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Metro Railways (Notice of Accidents and Inquiries) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) ln these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);

(b) "Commissioner" means the Commissioner of Metro Railway Safety appointed under section 7 of the Act;

(c) "Form" means a form appended to these rules;

(d) "Passenger" means a person travelling on the metro railway with a valid ticket or pass;

(e) "Central Government" in relation to technical planning and safety of metro railways means the Ministry of the Government of India dealing with Railways.

(2) All other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act or the Metro Railways General Rules, 2013 shall have the same meaning as respectively assigned to them in that Act or rules.

3. Notice of accident.—(1) A notice of metro railways accident under section 38 of the Act shall be given without delay by the metro railway official in charge of the section of the metro railway to the following authorities in **Form I,** namely:-

i. the Commissioner of Metro Railway Safety concerned;

ii. the Ministry of Railways;

iii. the Ministry of Urban Development;

iv. the State Government concerned ;

v. the Deputy Commissioner or the District Collector, as the case may be;

vi. the Deputy Commissioner of Police, within whose jurisdiction the accident has occurred;

vii. the Officer in-Charge of the police station within local limits of which the accident has occurred; and

viii. such other Magistrate or police officer as may be appointed in this behalf by the Central Government.

(2) A notice of accident under sub-rule (1) shall be sent without delay by email or telefax or telephone or through a special messenger or such other means as may be available.

4. Facility for reaching the site of the accident.—Whenever any accident has occurred in the course of working of the metro railway, the metro railway administration shall extend all reasonable assistance to (a) the Deputy Commissioner or the District Collector, as the case may be, (b) the Deputy Commissioner of Police, (c) the Magistrate appointed under section 38 of the Act, (d) the Commission of Inquiry appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) or any other authority to whom the provisions of the said Commissions of Inquiry Act have been made applicable, (e) the Commissioner, (f) the Medical Officers, (g) the Police or (h) any other person concerned to reach the site of the accident promptly and to make inquiry into the cause of the accident and obtain necessary evidence thereon.

5. Inquiry of accidents by the Commissioner.—(1) The Commissioner shall be bound to hold inquiry into the accidents which result in death or total or partial disablement of permanent nature to a passenger.

(2) The Commissioner shall also hold inquiry in any accident involving non-revenue train or accident relief train or tower wagon or departmental train carrying metro railway officials resulting in death or grievous hurt to such officials.

(3) The Commissioner may, if he considers necessary, inquire into the accidents resulting in the death or grievous hurt to a metro railway official or to any other person holding a valid pass or ticket but travelling outside the rolling stock including on the roof or buffers of the metro railway or is run over on the metro railway track.

6. Notice of Inquiry and attendance.—(1) The Commissioner or the metro railway administration shall cause notice of inquiry to be given to such metro railway official whose evidence is necessary informing the date, time and place of such inquiry.

(2) The metro railway administration shall arrange for the attendance of metro railway officials at the place of inquiry whose evidence is necessary for such period as may be necessary.

(3) The metro railway administration shall also cause notice of the date, time and place at which the inquiry shall be held to such other persons including passengers and eyewitnesses who are willing to give evidence during the inquiry.

7. Procedure for inquiry into accident by the Commissioner.—(1) The Commissioner shall, as soon as may be, after receiving notice under rule 3, notify the metro railway administration of his intention to hold inquiry and communicate the date, time and place of such inquiry.

(2) The Commissioner shall inform the Chief Secretary of the State Government, the Deputy Commissioner or the District Collector and the concerned Commissioner of Police or the Superintendent of Police, as the case may be, the date, time and place of inquiry.

(3) The Deputy Commissioner or the District Collector and the Commissioner of Police or Superintendent of Police, as the case may be, shall, as far as possible, personally attend the inquiry conducted by the Commissioner and where not possible, depute a senior officer to represent him at such inquiry.

(4) On completion of the inquiry, the Commissioner shall submit to the metro railway administration and the Chief Commissioner of Railway Safety, a preliminary report on the immediate cause of accident, whether it was due to system failure or human failure, without making any reference to the persons responsible for the same.

(5) The Commissioner shall, as soon as possible, submit a detailed report as specified in sub-rule (6) to the Chief Commissioner of Railway Safety and shall forward copies of this report to—

(i) the Metro Railway Administration;

(ii) the Government of India in the Ministries of Urban Development and Railways;

(iii) the State Government concerned;

Provided that where the Commissioner finds that such accident was caused by sabotage or train wrecking, he shall also forward a copy of his report to the Director, Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs in the Government of India and the Commissioner of Police concerned.

(6) The detailed report to be submitted by the Commissioner under sub-rule (5) shall be confidential and shall contain the following particulars, namely:—

(a) brief description of the accident;

(b) description of the locality of the accident;

(c) detailed statement of the evidence taken;

(d) the conclusions arrived at together with a note of dissent, if any;

(e) reasons for the conclusion arrived at;

(f) the nature and extent of the damage done;

(g) a sketch or photograph illustrative of the accident, if necessary;

(h) the number of metro railway employees killed or injured;

(i) the number of passengers killed or injured;

(j) whether it has been a system failure or failure of an individual;

(k) an appendix containing extracts of the rules violated by the staff responsible for the accidents; and

(l) remedial actions proposed.

8. Publication of report by the Chief Commissioner of Railway Safety.—(1) After receiving the detailed report under sub-rule (5) of rule 7, the Chief Commissioner of Railway Safety shall, after taking approval of the Ministry of Urban Development and the Ministry of Railways in the Government of India, cause publication of the report.

(2) Where the Ministry of Urban Development has any reservations on publication of the report, the Chief Commissioner of Railway Safety shall not cause publication of the report until the matter is finally decided by the Ministry of Civil Aviation.

9. Inquiry into accidents by the Metro Railway Administration.—(1) If for any reason, the Commissioner is unable to hold an inquiry into an accident at an early date after the occurrence of such an accident, he shall inform the metro railway administration the reason as to why the inquiry cannot be held by him and thereafter the metro railway administration shall cause an inquiry to be held in accordance with the procedure specified in rule 10.

(2) Where, in the course of working of metro railway, any accident, excluding the nature of accidents specified in sub-rules (1) & (2) of rule 5, occurs either on account of breach of rules or due to technical/human failure, the metro railway administration shall cause an inquiry to be held into such accident in accordance with the procedure specified in rule 10.

10. Procedure for inquiry by the Metro Railway Administration.—(1) On receipt of information from the Commissioner under sub-rule (1) of rule 9 or where an accident of the nature specified in sub-rule (2) thereof occurs, the metro railway administration shall cause either a joint inquiry or a departmental inquiry to be held for thorough investigation of the causes which led to such accident.

(2) The metro railway administration concerned shall constitute a Committee of Metro Railway Officers for holding a joint inquiry and give necessary orders/instructions to that Committee.

(3) Where any department of the metro railway administration concerned is found responsible for the accident or it accepts the responsibility for such accident, the metro railway administration shall cause a Departmental Inquiry to be held and shall give necessary orders/instructions to the Head of the Department responsible for such accident to adopt and suggest such measures as may be necessary to prevent recurrence of such accidents.

(4) Before initiating a joint inquiry or departmental inquiry, as the case may be, the office-in-charge of the metro railway administration shall cause a notice to be given informing the date, place and time of the inquiry to the following officers, namely:-

(a) the Commissioner;

(b) the Deputy Commissioner or the District Collector as the case may be, of the district in whose jurisdiction the accident occurred or such other officer as the State Government may appoint in this behalf;

(c) the Deputy Commissioner of Police having jurisdiction at the place where the accident occurred; and

(d) the officer-in-charge of the police station having Jurisdiction at such place.

(5) A detailed report of the Joint Inquiry or the Departmental Inquiry, as the case may be, containing details of the cause of the accident and all particulars as specified in sub-rule (6) of rule 7 shall be prepared and submitted to the metro railway administration.

(6) The metro railway administration shall, after receiving the report under sub-rule (5), forward a copy of the report to the Commissioner and Ministry of Railways alongwith his recommendation on the action to be taken in regard to the staff responsible for the accident and revision if any, to be made in the rules or in the system of working of metro railway.

11. Annual Return of accidents. - (1) At the end of each financial year, the metro railway administration shall prepare and forward to the Ministry of Urban Development and the Ministry of Railways in the Government of India, an annual return of all accidents that have occurred on the metro railway during that financial year in **Form II**.

FORM I

(See rule 3)

NOTICE OF ACCIDENT

Consequential Train Accident Message No.:

ACCIDENT* OF PASSENGER TRAIN ON METRO RAILWAY ON DD/MM/YYYY

Information received from Nodal Officer / Metro at HH : MM hrs on DD/MM/YYYY

Date and Time of Accident	DD/MM/YYYY
Section	
Block Section/At Station	
System of Working	
Train No.	
Load	
Brief Particulars	

Casualty	
Relief Arrangements	
Officers visiting site	
Prima-facie cause	
Restoration	
Other information	
State/District	

*Type of Accident

Date: DD/MM/YYY

(Name)

Designation

FORM II

(See rule 11)

ANNUAL RETURN OF ACCIDENTS

S.No.	Date	Regions	Gauge	Section	At Station / Mid Section / At work site	Train No.	Brief Particulars	Casualties				Prima Facie Cause	Final Cause	Cost of Damage				Interruption to through Traffic	Type of Inquiry CRS/Department	Findings/Outcome	Responsibility	Action Taken	Whether Section 45 (Yes/No)
								P* R* O*	K*	G*	S*			Engg.	Mech.	Elect.	Others						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12				13	14	15	16	17	18

*P - Passenger
*R - Staff (Metro Staff)
*O - Others
*K - Killed
*G - Grievous Injured
*S - Simple Injured

[F. No. K-14011/17/2013-MRTS-II]

C. K. KHAITAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 899(अ).—केंद्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत" से मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अभिप्रेत है;

(ग) "यात्री" से विधिमान्य टिकट या पास के साथ मेट्रो रेल में यात्रा कर रहा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम या मेट्रो रेल साधारण नियम, 2013 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम या नियमों में क्रमशः उनके हैं।

3. माल या सामान का वहन.—कोई भी व्यक्ति, मेट्रो रेल प्रशासन के पूर्व अनुमोदन के सिवाय मेट्रो रेल में यात्रा करते समय, अपनी निजी माल-असबाब वाले यात्री सामान से भिन्न किसी ऐसे माल का वहन नहीं करेगा, जो आकार में 60 सेन्टी मीटर X 45 सेंटी मीटर X 25 सेन्टी मीटर और 15 किलोग्राम कुल भार से अधिक हो।

4. खतरनाक और घृणोत्पादक सामग्री ले जाने का प्रतिषेध.—(1) कोई भी व्यक्ति किसी मेट्रो रेल में निम्नलिखित खतरनाक सामग्रियों को नहीं ले जाएगा या किसी को नहीं ले जाने देगा, अर्थात् :—

(क) विस्फोटक पदार्थ, जिनमें विस्फोट या आग लगने या दोनों का जोखिम है;

(ख) संपीड़ित, द्रवीकृत या दबाव के अधीन घुली हुई गैसें;

(ग) पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव;

(घ) ज्वलनशील ठोस;

(ङ) ऑक्सीकरणीय पदार्थ;

(च) जहरीले (विषैले) पदार्थ;

(छ) अम्ल और अन्य संक्षारक;

(ज) रेडियोएक्टिव पदार्थ;

(झ) शस्त्र, आयुध और गोला-बारुद;

(ञ) कोई रासायनिक, जैविक, रेडियोलोजिकल, नाभिकीय और वर्धित पारंपरिक आयुध जिससे यात्रियों या संपत्ति को खतरा हो।

(2) कोई भी व्यक्ति मेट्रो रेल पर निम्नलिखित घृणोत्पदक सामग्री नहीं ले जाएगा या किसी को नहीं ले जाने देगा, अर्थात् :—

(क) मानव या पशु का शुष्कित या स्कंदित या सड़ा हुआ रक्त;

(ख) शव;

(ग) मृत पशुओं या मृत पक्षियों के शव;

(घ) हड्डियां, विरंजित और साफ की गई हड्डियों का छोड़कर;

(ड.) मानव कंकाल;

(च) मानव शरीर के अंग;

(छ) वहनीय रेडियो युक्तियां, जिनसे रेडियो संचार नेटवर्क और यातायात नियंत्रण संकेतन नेटवर्क आधारित संचार को जोखिम हो।

(3) कोई भी व्यक्ति मेट्रो रेल पर किसी जीवित पशु या पक्षी को नहीं ले जाएगा या किसी को नहीं ले जाने देगा:

परंतु, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा प्रयोजन के लिए अपने साथ सूंघने वाला कुत्ता ले जा सकेगा ।

5. शस्त्र, आयुध आदि ले जा सकने वाले व्यक्ति.—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संघ के सशस्त्र बलों, राज्य पुलिस, परा-सैन्य बलों, मेट्रो रेल प्रशासन में लगी हुई निजी सुरक्षा ऐजेंसियों के सशस्त्र गार्ड, राष्ट्रीय कैडेट कोर और केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के वर्दीधारी बलों के सदस्य ड्यूटी के दौरान मेट्रो रेल में यात्रा करते समय अपने प्राधिकृत शस्त्र, आयुध और गोला-बारूद मेट्रो रेल प्रशासन को पहचान का सबूत प्रस्तुत करने के अध्यधीन वहन कर सकेंगे ।

6. संक्रामक और सांसर्गिक के रूप में घोषित रोग.—मानसिक रोग या किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित रोग भी हैं, से पीड़ित कोई व्यक्ति मेट्रो रेल में यात्रा नहीं करेगा, अर्थात् :—

(क) सेरिबरा-स्पाइनल मेनिंनजाइटिस;

(ख) चिकन-पॉक्स;

(ग) हैजा;

(घ) डिप्थीरिया (रोहिणी);

(ङ) खसरा;

(च) कनपेडा;

(छ) स्कारलेट ज्वर;

(ज) टाइफाइड ज्वर;

(झ) कुकुर खांसी;

(ञ) ट्यूबरक्लोसिस।

परन्तु क्लोज्ड (असंक्रामक) कुष्ठ रोगी किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से रोग की असंक्रामक प्रमाणित करने वाले प्रमाणपत्र के साथ मेट्रो रेल में यात्रा कर सकेगा ।

[फा. सं. के-14011/17/2013-एमआरटीएस-2]

सी. के. खेतान, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2014

G.S.R. 899(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Metro Railways (Carriage and Ticket) Rules, 2014

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);

(b) "Authorised" means authorised by the metro railway administration;

(c) “Passenger" means a person travelling on the metro railway with a valid ticket or pass.

(2) All other words and expressions used in these rules and not defined , but defined in the Act or the Metro Railways General Rules, 2013 shall have the same meanings as respectively assigned to them in that Act or rules.

3. Carriage of goods or luggage.—No person shall, while travelling in metro railway, carry with him any goods other than one baggage containing personal belongings not exceeding 60 centimetre X 45 centimetre X 25 centimetre in size and 15 kilogram in gross weight, except with the prior approval of the metro railway administration.

4. Prohibition against carriage of dangerous and offensive material.—(1) No person shall take or cause to be taken on the metro railway any of the following dangerous materials, namely:-

(a) explosive substances which possess risk of explosion or fire or both;
(b) gases compressed, liquefied or dissolved under pressure;
(c) petroleum and other inflammable liquids;
(d) inflammable solids;
(e) oxidizing substances;
(f) poisonous (toxic) substances;
(g) acids and other corrosives;
(h) radioactive substances;
(i) weapons, arms and ammunitions.
(j) any Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Enhanced Conventional Weapons which possess risk to passengers or property.

(2) No person shall take or cause to be taken on the metro railway any of the following offensive materials, namely:-

(a) blood dried or coagulated or decomposed, whether human or animal ;
(b) corpses;
(c) carcasses of dead animals or of dead birds;
(d) bones excluding bleached and cleaned bones;
(e) human skeleton;
(f) parts of human body;
(g) portable radio devices which possess risk to radio communication network and communication based traffic control signalling network ;

(3) No person shall take or cause to be taken on the metro railway live animals or birds:

Provided that a security person on duty may take along sniffer dog for the purpose of security.

5. Persons who may carry weapons, arms, etc.—Notwithstanding anything contained in these rules, the members of the Armed Forces of the Union, the State Police, the Para-Military Forces, armed guards of private security agencies engaged by the metro railway administration, the National Cadet Corps, and other uniformed forces of the Central Government, State Governments or the Union Territory may, while travelling on the metro railway in the course of their duty, carry their authorised weapons, arms and ammunition, subject to the proof of identification being furnished to the metro railway administration.

6. Diseases declared to be infectious and contagious.—No person who is mentally disturbed or is suffering from any infectious or contagious disease including the following, shall travel in the metro railway, namely:—

(a) cerebro-spinal meningitis;
(b) chicken-pox;
(c) cholera ;
(d) diphtheria;
(e) measles;
(f) mumps;
(g) scarlet fever;
(h) typhus fever;
(i) typhoid fever;
(j) whooping cough;
(k) tuberculosis.

Provided that a closed (non-infective) leprosy patient carrying a certificate from a Registered Medical Practitioner certifying him to be non-infective may travel in the metro railway.

[F. No. K-14011/17/2013-MRTS-II]

C. K. KHAITAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940
No. 616] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(एमआरटीएस-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 837 (अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2014 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मेट्रो रेल (वहन और टिकट) संशोधन नियम, 2018 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2014 में नियम 6 के परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. के-14011/8/2018-एमआरटीएस-II]

मुकुंद कुमार सिन्हा, ओएसडी (यूटी) और पदेन संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 899(अ) तारीख दिनांक 16 दिसंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(MRTS-II)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

G.S.R. 837(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Metro RailwayL (Carriage and Ticket) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Metro Railway (Carriage and Ticket) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2**.** In the Metro Railway (Carriage and Ticket) Rules, 2014, the proviso to rules 6 shall be omitted.

[F. No. K-14011/8/2018-MRTS-II]

MUKUND KUMAR SINHA, OSD (UT) and Ex-Officio Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 899(E), dated the 16th December, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 838(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बंगलौर मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2011 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिपत नाम बंगलौर मेट्रो रेल (वहन और टिकट) संशोधन नियम, 2018 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. बंगलौर मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2011 में नियम 6 के परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. के-14011/8/2018-एमआरटीएस- II]

मुकुंद कुमार सिन्हा, ओएसडी (यूटी) और पदेन संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 402(अ) तारीख दिनांक 25 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

G.S.R. 838(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Bangalore Metro Railway (Carriage and Ticket) Rules, 2011, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Bangalore Metro Railway (Carriage and Ticket) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2**.** In the Bangalore Metro Railway (Carriage and Ticket) Rules, 2011, the proviso to rules 6 shall be omitted.

[F. No. K-14011/8/2018-MRTS-II]

MUKUND KUMAR SINHA, OSD (UT) and Ex-Officio Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R.. 402(E), dated the 25th May, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 839(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चेन्नई मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2014 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चेन्नई मेट्रो रेल (वहन और टिकट) संशोधन नियम, 2018 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. चेन्नई मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2014 में नियम 7 के परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. के-14011/8/2018-एमआरटीएस- II]

मुकुंद कुमार सिन्हा, ओएसडी (यूटी) और पदेन संयुक्त सचिव,

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 758(अ) तारीख दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

G.S.R. 839(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Chennai Metro Railway (Carriage and Ticket) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Chennai Metro Railway (Carriage and Ticket) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2**.** In the Chennai Metro Railway (Carriage and Ticket) Rules, 2014, the proviso to rules 7 shall be omitted.

[F. No. K-14011/8/2018-MRTS-II]

MUKUND KUMAR SINHA, OSD (UT) and Ex-Officio Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 758(E), dated the 28th October, 2014.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.09.06 22:32:26 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2019/भाद्र 5, 1941
No. 488]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2019/ BHADRA 5, 1941

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(एमआरटीएस-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 601(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेट्रो रेल (सार्वजनिक वाहन और टिकट) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**-(1) इन नियमों का नाम मेट्रो रेल (सार्वजनिक वाहन और टिकट) संशोधन नियम 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मेट्रो रेल (सार्वजनिक वाहन और टिकट) नियम, 2014 में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा; अर्थातः-

"3. माल अथवा सामान के लिए सार्वजनिक वाहन-

(1) कोई भी व्यक्ति, मेट्रो रेल में यात्रा करते समय, मेट्रो रेल प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना निजी सामग्री से भरा यात्री सामान, जिसका आकार 80 सेंटीमीटर x 50 सेंटीमीटर x 30 सेंटीमीटर तथा सकल भार 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, से भिन्न अपने साथ कोई सामान नहीं ले जाएगा। बंडलों के रूप में सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।

(2) एयरपोर्ट कनेक्शन हेतु मेट्रो लाइन के मामले में कोई भी व्यक्ति, मेट्रो रेल में यात्रा करते समय, मेट्रो रेल प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना निजी सामग्री से भरे दो सामान, जिनका आकार 90 सेंटीमीटर x 75 सेंटीमीटर x 45 सेंटीमीटर तथा सकल भार 32 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, को छोड़कर अपने साथ कोई सामान नहीं ले जाएगा। बंडलों के रूप में सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।

[फा.सं. के-14011/16/2018-एमआरटीएस-II]

के. संजय मूर्ति, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 899(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 837 (अ), तारीख 6 सितम्बर, 2018 द्वारा इसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(MRTS-II)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2019

G.S.R. 601(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Metro Railways (Carriage and Ticket) Rules, 2014, namely:-

1. **Short title and commencement**,- (1) These rules may be called the Metro Railways (Carriage and Ticket) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Metro Railways (Carriage and Ticket) Rules, 2014, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. **Carriage of goods or luggage**.- (1) No person shall, while travelling in metro railway, carry with him any goods other than one baggage containing personal belongings not exceeding 80 centimetres x 50 centimetres x 30 centimetres in size and 25 kilograms in gross weight, except with prior approval of the metro railway administration. Baggage in form of bundles is not permitted.

(2) In case of a dedicated metro line for airport connection, no person shall, while travelling in metro railway, carry with him any goods other than two baggages containing personal belongings not exceeding 90 centimetres x 75 centimetres x 45 centimetres in size and 32 kilograms in gross weight, except with prior approval of the metro railway administration. Baggage in form of bundles is not permitted".

[F. No. K-14011/16/2018-MRTS-II]

K. SANJAY MURTHY, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 899 (E), dated the 16th December, 2014 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 837(E), dated the 6th September, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.